FIVE RUPEES TEN RUPEES

IN THE COURT OF BOARD OF REVENUE, GWALIOR (MP)

439 R 1750 - I/07

Case No. /2007 Revision

R.S. Sengar Ad

द्वारा आज दि० 25-10-07 को प्रस्तुत।

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

1. Balchandra Gupta S/o. Shri Biharilal Gupta,
2. Gulabchandra S/o. Shri Biharilal Gupta,
3. Mohanlal S/o. Shri Biharilal Gupta,

All are resident of village-Jatara, Tehsil Jatara, District Tikamgarh (MP).

...Petitioners

Versus

1. Hukumchandra Jain S/o. Pannalal Jain R/o. Ward No.10 Jatara, Tehsil Jatara, District Tikamgarh (MP).
2. Nagar Panchayat Jatara District Tikamgarh through Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat Jatara, District Tikamgarh (MP).

......Respondents.

REVISION UNDER SECTION 50 OF THE M.P. LAND REVENUE

THE ADDITIONAL COMMISSIONER, SAGAR DIVISION, SAGAR IN CASE NO.645-a. 89 X 06-07 WHEREBY THE REVISION FILED BY THE PETITIONERS HAS BEEN DISMISSED STATING THAT PRIMA FACIE THERE IS NO PROVISION OF REVISION IN THE MATTER OF NASUL.

The humble petitioners most respectfully submit their revision as under:-

Facts of the case-

1. That, the respondent no. 1, Hukumchandra, filed an appeal before the Collector Teekamgarh regarding the land bearing khasra no. 829 area 2.784 hectare and khasra no. 832 area 0.437 hectare situated in village Jatara and also stated that the aforesaid lands are in his possession and he is cultivating the same. It has also been stated that petitioners are not having any land adjacent to the aforesaid lands.

2. That, the learned Collector without going into the merits of the case and without examining the relevant documents allowed the appeal of the respondent no. 1 and passed the order impugned dated 7/6/2007 in case no. 9/appeal/03-04 against which the petitioners filed a revision before the court of Commissioner Sagar Division, Sagar, but the learned Commissioner dismissed the revision filed by the petitioners by order dated 13/7/2007 stating therein that in the matter of nasul under Section 50 of the Land Revenue Code there is no provision of revision.

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-1750/I/2007/टीकमगढ़/भू.रा.

बालचंद (फौत) वारिसान-श्रीमती पार्वती

बाई पत्नी बालचंद गुप्ता आदि विरूद्ध हुकुमचंद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-1-19	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभषक श्री साकेत उदैत्तियां एवं अनावेदक अभिभाषक श्री अमित भार्गव उपस्थित। दिनांक 11.01.2019 को तर्क सुने। 2/ आवेदक बालचंद गुप्ता एवं अन्य के द्वारा अपर आयुक्त सागर के निगरानी प्र.क्र. 645/A-89/06-07 में पारित आदेश दिनांक 13.07.07 के विरूद्ध भू.रा. संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में पुन: निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक बालचंद गुप्ता के द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र.क्र. 9/अ/03-04 में पारित आदेश दिनांक 07.06.07 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की थी अपर आयुक्त के द्वारा नजूल प्रकरणों में पुनरीक्षण का प्रावधान न होने के कारण निगरानी आवेदन ग्राह्य नहीं किया गया है। 4/ कलेक्टर के आदेश दिनांक 07-06-2007 का ऑपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है- " अत: नगर पंयाचत जतारा के वार्ड क्रमांक ५ की सम्पत्ति कर पंजी 250 में की गई प्रविष्टि उत्तरवादी बालचंन्द्र आदि के नाम पर की गई प्रविष्टिको निरस्त किया जाता है । अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में भवन पंजी क्रमांक 376 पर 18X80 मीटर पर बालचंन्द्र गुप्ता के नाम की प्रविष्टि होने का उल्लेख किया है, उक्त प्रविष्टि को निरस्त किया जाता है । मुख्य नगर पंचायत अधिकारी जतारा को यह आदेश दिया जाता है कि उक्त प्रविष्टियां नगर पंचायत जतारा के अभिलेख में किस प्रकार की गई, उक्त प्रविष्टियों के लिये कौन दोषी है, इस संबंध में	

28.01.19

जांच कर दोषी अधिकारी/कर्मचारीके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाये। अधीक्षक भू-अभिलेख के प्रतिवेदन दिनांक 30-05-2007 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी हुकुमचंन्द्र जैन के स्वामितव की भूमि खसरा क्रमांक 829 प्रश्नाधीन खण्डहर का आधा हिस्सा आता है। अत: भूमि खसरा क्रमांक 829 में आने वाले खण्डहर के आधे हिस्से को सम्पत्तिकर पंजी में श्री हुकुमचन्द्र जैन के नाम पर दर्ज किया जाये।

इस न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि के नक्शे पास करने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी जतारा के प्रकरण क्रमांक 03/अ20(4)/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 15-10-2003 के विरूद्ध अपील प्रकरण क्रमांक 08/अपील/2003-04 इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूँकि नगर पंचायत जतारा द्वारा की गई प्रविष्टियों को इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अत: अनुविभागीय अधिकारी जतारा का आदेश स्वत: निरस्त हो जाता है। यह आदेश अनुविभागीय अधिकारी के अपील प्रकरण क्रमांक 03/अ20(4)/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 15-10-2003 पर भी प्रभावशील होगा "

5/ अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर ने अपने आदेश दिनांक 13-07-07 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि नजूल के प्रकरणों में संहिता की धारा 50 में पुनरीक्षण का प्रावधान न होने से प्रकरण ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। चूंकि नजूल प्रकरण में निगरानी का कोई प्रावधान नहीं है। कलेक्टर के द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 308 के विरूद्ध अथवा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के विरूद्ध निगरानी सुनने का प्रावधानन होने से प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

28.01.19

आर.के. जैन
सदस्य